

1 मई, 2020

सरकारी आदेश 2020-35

**कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश  
(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 33)**

**चूंकि**, कुछ ही समय में कोविड-2019 (COVID-19) शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, COVID -19 श्वसन प्रसारण से फैलती है और इन्फ्लूएंजा की तरह के लक्षण पेश करती है, और,

**जबकि**, 11 मार्च, 2020 पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एक महामारी के रूप में COVID -19 प्रकोप विशेषता; तथा,

**जबकि**, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, WHO और संघीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों (CDC) ने यह घोषणा की है कि इसका फैलना जारी रहना अपेक्षित है; और,

**जबकि**, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (Governor), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (the First Gubernatorial Disaster Proclamation) और,

**जबकि**, 1 अप्रैल, 2020 को मैंने COVID-19 के घातीय प्रसार के परिणामस्वरूप इलिनॉय र्ाज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (the Second Gubernatorial Disaster Proclamation) और,

**जबकि**, 30 अप्रैल, 2020 को, चूंकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने की अपेक्षा, और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटर्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था (तृतीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम व द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

**जबकि**, COVID-19 के परिणामस्वरूप कुछ जनसमूह गंभीर रुग्णता का अनुभव करने के उच्चतर जोखिम में हैं, जिनमें वृद्ध वयस्क एवं गंभीर दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों के रोग या अन्य स्थितियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं; और,

**जबकि**, सरकारी आदेश 2020-32 अनिवार्य करता है कि इलिनॉय के निवासी आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक सरकारी कार्यों और आवश्यक व्यवसायों और प्रचालनों के अलावा हमेशा घर पर ही रहें; और,

**जबकि**, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, कार्यकारी आदेश 2020-32 सामाजिक दूरी अनिवार्य करता है जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छः फुट की दूरी बनाए रखना शामिल है और यह रणनीति, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

**जबकि**, सहायित निर्वाह एवं साझा आवास अधिनियम (असिस्टेड लिविंग एंड शेयर्ड हाउसिंग एक्ट) 210 ILCS 9; नर्सिंग होम देखभाल अधिनियम (नर्सिंग होम केयर एक्ट) 210 ILCS 45; MC/DD अधिनियम (एक्ट), 210 ILCS 46; ID/DD सामुदायिक देखभाल अधिनियम (कम्युनिटी केयर एक्ट), 210 ILCS 47; और विशेषीकृत मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास अधिनियम 2013 (स्पेशलाइज़्ड मेंटल हेल्थ रीहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013), 210 ILCS 49, के अनुसरण में इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ) द्वारा अनुज्ञप्त (लाइसेंस प्राप्त) इकाइयां, कार्यकारी आदेश 2020-32 के अनुसार आवश्यक मानव सेवाएं प्रचालन हैं; और,

**जबकि**, सहायित निर्वाह एवं साझा आवास अधिनियम (असिस्टेड लिविंग एंड शेयर्ड हाउसिंग एक्ट), 210 ILCS 9, के अनुसरण में, IDPH वार्षिक ऑन-साइट समीक्षाएं करने, ऑन-साइट शिकायत पड़ताल करने, अधिकतम 120 दिन की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन



**जबकि**, इलिनॉय भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त सार्थक उपाय करना आवश्यक है; तथा,

**जबकि**, कोविड-19 (COVID-19) के दौरान आवश्यक मानव सेवाएं प्रचालन अपना प्रचालन जारी रखने में समर्थ हों यह सुनिश्चित करने के लिए, कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी द्वारा उत्पन्न अविश्वसनीय मुद्दों के हल हेतु IDPH के संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, और कोविड-19 (COVID-19) से IDPH कर्मचारियों के संभावित संपर्क को सीमित करने के लिए, IDPH की कुछ रोज़मर्रा की नियामक गतिविधियों को स्थगित करना आवश्यक है; और,

**जबकि**, इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में कर्मचारियों की आवश्यकता में वृद्धि होने की प्रतिक्रिया में राज्य के स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को विस्तार देना आवश्यक है;

**अतः**, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(8), और 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ जो तुरंत प्रभावी होगा और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की शेष अवधि तक लागू रहेगा:

**अनुभाग 1.** सहायित निर्वाह एवं साझा आवास अधिनियम (असिस्टेड लिविंग एंड शेयर्ड हाउसिंग एक्ट), 210 ILCS 9/40; नर्सिंग होम देखभाल अधिनियम (नर्सिंग होम केयर एक्ट), 210 ILCS 45/3-116; MC/DD अधिनियम (एक्ट), 210 ILCS 46/3-116; और ID/DD सामुदायिक देखभाल अधिनियम (कम्युनिटी केयर एक्ट), 210 ILCS 47/3-116, के वे उपबंध राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान स्थगित किए जाते हैं जो यह आवश्यक करते हैं कि (a) परिवीक्षाधीन अनुज्ञा (प्रोबेशनरी लाइसेंस) 120 दिनों के लिए मान्य रहेगा बशर्ते उसे इससे पहले स्थगित या रद्द न किया जाए, और (b) परिवीक्षाधीन अनुज्ञा (प्रोबेशनरी लाइसेंस) के समापन से 30 दिन पहले IDPH प्रतिष्ठान या इकाई की पूर्ण-रूपेण समीक्षा करेगा। ऐसे लाइसेंस जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान कालातीत हो गए हैं या कालातीत होने वाले हैं को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए विस्तारित किया जाएगा जब तक कि IDPH द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

**अनुभाग 2.** नर्सिंग होम देखभाल अधिनियम (नर्सिंग होम केयर एक्ट), 210 ILCS 45/3-702(d); the MC/DD अधिनियम (एक्ट), 210 ILCS 46/3-702(d); और ID/DD सामुदायिक देखभाल अधिनियम (कम्युनिटी केयर एक्ट), 210 ILCS 47/3-702(d), के वे उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो यह अनिवार्य करते हैं कि IDPH, दुरुपयोग/दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा के आरोपों से असंबंधित शिकायतों की पड़ताल, उनकी प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर करे। IDPH दुरुपयोग/दुर्व्यवहार या उपेक्षा के आरोपों वाली शिकायतों की पड़ताल सांविधिक समय-सीमाओं के अनुसार जारी रखेगा, जिनमें यह संकेत देने वाली शिकायतें शामिल हैं कि किसी निवासी का जीवन या सुरक्षा आसन्न खतरे में है।

**अनुभाग 3.** विशेषीकृत मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास अधिनियम 2013 (स्पेशलाइज़्ड मेंटल हेल्थ रीहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ़ 2013), 210 ILCS 49/4-105, का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो यह आवश्यक करता है कि आरंभिक अनुज्ञा (लाइसेंस) स्वीकृति के समय विशेषीकृत मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास इकाई के रूप में जारी की गई अस्थायी अनुज्ञाएं (प्रोविज़नल लाइसेंस) 3-वर्ष की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी। ऐसे लाइसेंस जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान कालातीत हो गए हैं या कालातीत होने वाले हैं को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए विस्तारित किया जाएगा जब तक कि IDPH द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

**अनुभाग 4.** सहायित निर्वाह एवं साझा आवास अधिनियम (असिस्टेड लिविंग एंड शेयर्ड हाउसिंग एक्ट), 210 ILCS 9/30(a) और 210 ILCS 9/110(a), के वे उपबंध एतद्वारा स्थगित किए जाते हैं जो यह आवश्यक करते हैं कि IDPH, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान की वार्षिक ऑन-साइट समीक्षा करे और प्रत्येक सहायित निर्वाह एवं साझा आवास प्रतिष्ठान का एक वार्षिक अघोषित दौरा करे। IDPH व्यावहारिकता की अधिकतम संभव सीमा तक ऑन-साइट समीक्षाएं एवं वार्षिक अघोषित ऑन-साइट दौरे संचालित करेगा।

**अनुभाग 5.** नर्सिंग होम देखभाल अधिनियम (नर्सिंग होम केयर एक्ट), 210 ILCS 45, के निम्नलिखित उपबंध एतद्वारा स्थगित किए जाते हैं:

- यह आवश्यकता कि 210 ILCS 45/3-102.2 के अनुसरण में IDPH कार्यक्रम योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक अंतराल पर या जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार प्रत्येक इकाई की ऑन-साइट समीक्षा करेगा, सिवाय इसके कि IDPH व्यावहारिकता की अधिकतम संभव सीमा तक ऑन-साइट समीक्षाएं करना जारी रखेगा;
- यह आवश्यकता कि 210 ILCS 45/3-202.5(g) के अनुसरण में IDPH, पूर्ण हो चुकी निर्माण परियोजना का ऑन-साइट निरीक्षण, आवेदक की ओर से सूचना मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर-अंदर करेगा; और
- यह आवश्यकता कि 210 ILCS 45/3-202.5(g) के अनुसरण में IDPH, पूर्ण हो चुकी निर्माण परियोजना का ऑन-साइट निरीक्षण, आवेदक की ओर से सूचना मिलने के बाद 45 कामकाजी दिनों के अंदर-अंदर करेगा।

**अनुभाग 6.** MC/DD अधिनियम (एक्ट), 210 ILCS 46/3-202.5(g), और ID/DD सामुदायिक देखभाल अधिनियम (कम्युनिटी केयर एक्ट), 210 ILCS 47/3-202.5(g), के वे उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो आवश्यक करते हैं कि IDPH, पूर्ण हो चुकी निर्माण परियोजना का ऑन-साइट निरीक्षण, सूचित किए जाने के बाद 30 दिनों के अंदर-अंदर करेगा।

**अनुभाग 7.** नर्सिंग होम देखभाल अधिनियम (नर्सिंग होम केयर एक्ट), 210 ILCS 45/3-206(a)(5); ID/DD सामुदायिक देखभाल अधिनियम (कम्युनिटी केयर एक्ट), 210 ILCS 47/3-206(a)(5); और MC/DD अधिनियम (एक्ट), 210 ILCS 46/3-206(a)(5), के वे उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो यह आवश्यक करते हैं कि परिचर्या सहायकों (नर्सिंग असिस्टेंट्स), पुनर्वास सहायकों (हेबिलिटेशन एड), और बाल देखभाल सहायकों (चाइल्ड केयर एड) को आरंभिक नियुक्ति के बाद 120 दिनों के अंदर विभाग द्वारा स्वीकृत कोई मूलभूत परिचर्या सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेसिक नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम) सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। यह आवश्यकता स्थगित नहीं की गई है कि परिचर्या सहायक, पुनर्वास सहायक, एवं बाल देखभाल सहायक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करें।

**अनुभाग 8.** इलिनॉय प्लम्बिंग अनुज्ञा कानून (प्लमिंग लाइसेंस लॉ), 225 ILCS 320, के निम्नलिखित उपबंध एवं तत्संबंधी विनियम स्थगित किए जाते हैं:

- a) यह आवश्यकता कि इस राज्य में व्यापार करने वाला प्रत्येक सिंचाई ठेकेदार 225 ILCS 320/2.5(a) के अनुसरण में IDPH में वार्षिक पंजीकरण कराएगा;
- b) यह आवश्यकता कि कोई भी अनुज्ञप्त प्रशिक्षु प्लम्बर (लाइसेंस-प्राप्त अप्रेंटिस प्लम्बर) 225 ILCS 320/3(4)(i) के अनुसरण में 6 वर्ष से अधिक समय तक अनुज्ञप्त प्रशिक्षु के रूप में सेवाएं नहीं देगा;
- c) यह आवश्यकता कि 225 ILCS 320/9 के अनुसरण में IDPH, इस राज्य के अंदर किसी स्थान पर कम-से-कम हर तीन माह में एक बार, प्लम्बर अनुज्ञाओं (प्लम्बर लाइसेंस) के आवेदकों के लिए परीक्षाएं आयोजित करे; और
- d) यह आवश्यकता कि कानून के अंतर्गत जारी की गई समस्त प्लम्बर अनुज्ञाएं (प्लम्बर लाइसेंस) और प्रशिक्षु प्लम्बर अनुज्ञाएं (अप्रेंटिस प्लम्बर लाइसेंस) 225 ILCS 320/14 के अनुसरण में जारी किए जाने के दिनांक के बाद आने वाले पहले 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी।

ऐसी पंजीकरण आवश्यकताएं और लाइसेंस जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान कालातीत हो गए हैं या कालातीत होने वाले हैं को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए विस्तारित किया जाएगा जब तक IDPH द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

**अनुभाग 9.** संरचनात्मक पीडक नियंत्रण अधिनियम (स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल एक्ट), 225 ILCS 235/7, का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो IDPH या उसके पदनामिती के लिए हर वर्ष कम-से-कम 4 बार लिखित परीक्षाएं करवाना आवश्यक करता है।

**अनुभाग 10.** ग्रेड A पाशुरीकृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद अधिनियम (ग्रेड A पाशुराइज़्ड मिल्क एंड मिल्क प्रॉडक्ट्स एक्ट), 410 ILCS 635/5, और इलिनॉय खाद्य, औषध एवं प्रसाधन अधिनियम (फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट), 410 ILCS 620/21.2, के वे उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो यह आवश्यक करते हैं कि दुग्ध दुलाईकर्ता-प्रतिचयनक (हॉलर-सैंपलर) को जारी की गई अनुमतियां (परमिट) हर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। ऐसे परमिट्स जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान कालातीत हो गए हैं या कालातीत होने वाले हैं को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए विस्तारित किया जाएगा।

**अनुभाग 11.** सचल गृह पार्क अधिनियम (मोबाइल होम पार्क एक्ट), 210 ILCS 115/3, का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो यह आवश्यक करता है कि सचल गृह पार्क (मोबाइल होम पार्क) की अनुज्ञाओं (लाइसेंस) का नवीकरण हर वर्ष 30 अप्रैल तक करा लिया जाए। ऐसे लाइसेंस जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान कालातीत हो गए हैं या कालातीत होने वाले हैं को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए विस्तारित किया जाएगा जब तक कि IDPH द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

**अनुभाग 12.** चर्मशोधन इकाई अनुमति अधिनियम (टैनिंग फ़ैसिलिटी परमिट एक्ट), 210 ILCS 145/15(a), का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो IDPH द्वारा जारी अनुमतियों (परमिट) का वार्षिक नवीकरण आवश्यक करता है। ऐसे परमिट्स जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान कालातीत हो गए हैं या कालातीत होने वाले हैं को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए विस्तारित किया जाएगा।

**अनुभाग 13.** गोदन व शरीर छेदन प्रतिष्ठान पंजीकरण अधिनियम (टैटू एंड बॉडी पियर्सिंग एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट), 410 ILCS 54/35(a), का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो पंजीकरण प्रमाणपत्रों का वार्षिक नवीकरण आवश्यक करता है। ऐसे पंजीकरण के प्रमाण पत्र जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान कालातीत हो गए हैं या कालातीत होने वाले हैं को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए विस्तारित किया जाएगा।

**अनुभाग 14.** नर्सिंग होम देखभाल अधिनियम (नर्सिंग होम केयर एक्ट), 210 ILCS 45/3-401(d); MC/DD अधिनियम (एक्ट), 210 ILCS 46/3-401; और ID/DD सामुदायिक देखभाल अधिनियम (कम्युनिटी केयर एक्ट), 210 ILCS 47/3-401, के वे

उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो दीर्घकालिक देखभाल इकाई को भुगतान में देरी या भुगतान नहीं करने के कारण किसी निवासी को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरित करने या छुट्टी देने की कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति देते हैं।

अनुभाग 15. इलिनॉय वाक-भाषा विकृतिविज्ञान एवं श्रवणविज्ञान अभ्यास अधिनियम (स्पीच-लैंग्वेज पैथॉलजी एंड ऑडियॉलजी प्रैक्टिस एक्ट), 225 ILCS 110/8.8(e), के उस उपबंध जो वाक-भाषा विकृतिविज्ञान सहायकों के “प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण” को “साइट-पर, किसी वाक-भाषा विकृतिविज्ञानी के अवलोकन में एवं मार्गदर्शन के अधीन होने” के रूप में परिभाषित करता है, को वाक-भाषा विकृतिविज्ञान सहायकों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग प्रौद्योगिकी के जरिए वाक-भाषा विकृतिविज्ञानियों से पर्यवेक्षण पाने की अनुमति देने के सीमित प्रयोजन के लिए स्थगित किया जाता है।

अनुभाग 16. इस कार्यकारी आदेश का, और IDPH द्वारा जो भी आपातकालीन नियम लागू किए गए हैं उन नियमों का अर्थ, अग्रलिखित के संबंध में संघीय मेडिकेयर (Medicare) एवं मेडिकएड (Medicaid) सेवाएं केंद्रों (सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकएड सर्विसेस) या अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएं विभाग (यू.एस. स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग)।

अनुभाग 17. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

---

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

(Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 1 मई, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 1 मई, 2020